

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 315/2022

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया)लि0) रजि. कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 साल

— प्रार्थी बैंक

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र फताराम सोनी,
2. श्रीमती प्रेमलता पत्नि मुकेश कुमार, समस्त जातियान सुनार, निवासीगण वार्ड नं0 6, ग्राम सांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
3. कमलकान्त पुत्र मुकेश कुमार, निवासी ग्राम सांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
4. सुनील कुमार पुत्र सरदाराराम, निवासी वार्ड नं0 5, ग्राम सांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

Also at- मुकेश कुमार, प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं0 11, एट ग्राम सांतौर, ग्राम पंचायत सांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधिधारा 14 सिक्कूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा- प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।


आदेश

दिनांक 02.01.2023

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 5,00,000/- रुपये अक्षरे पांच लाख रुपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060115691234 दिनांक 29.08.2018 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है- अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं0 11 एट ग्राम सांतौर, ग्राम पंचायत सांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू नपति 128.22 Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी मुकेश कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

पूरब	रास्ता	पश्चिम	मकान बनवारी मेघवाल
उत्तर	मकान रोताश मेघवाल	दक्षिण	मकान जयपाल सुनार

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.05.2022 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।


जिला कलक्टर झुंझुनू

प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 09.05.2022 द्वारा अं0 धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 5,41,973/रूपये अक्षरे पांच लाख इकतालीस हजार नौ सौ तिहेतर रूपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक 06.05.2022 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं0 11 एट ग्राम सांतौर, ग्राम पंचायत सांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू नपति 128.22 Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी मुकेश कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

पूरब	रास्ता	पश्चिम	मकान बनवारी मेघवाल
उत्तर	मकान रोताश मेघवाल	दक्षिण	मकान जयपाल सुनार

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत संपत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार संपत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार संपत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः


जिला कलेक्टर झुंझुनू

